रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1864] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2014/भाद्र 25, 1936
No. 1864] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2014/BHADRA 25, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

का.आ. 2381 (अ).––केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 (घ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 701 (अ), तारीख 7 मार्च, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाषित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संषोधन करती हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना के हिन्दी पाठ में, पैरा 1, पंक्ति 5 में, जिला ''कैथल'' के स्थान पर जिला ''कुरूक्षेत्र'' पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/22052/2013–14/हरियाणा/अम्बाला]

माया प्रकाष, निदेशक

पाद टिप्पणीः– मूल अधिसूचना का.आ. 701 (अ), तारीख 7 मार्च, 2014, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाषित की गई थी।

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054